न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228487
E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :-143/2021
प्रकरण दायर दिनांक:-17.06.2021
प्रकरण निर्णय दिनांक:-23.10.2023

उनवान- 1. रामसहाय पुत्र बिशन्या जाति माली निवासी बडाबास भाण्डेडा तहसील बसवा जिला दौसा।

बनाम

1. मांगी लाल पुत्र रामला – फौत
1/1 मोहन लाल पुत्र मांगी लाल जाति माली निवासी बडाबास भाण्डेडा तहसील बॉदीकुई जिला दौसा।
1/2 कम्मो पुत्री मांगी लाल पत्नि रेवडराम जाति माली निवासी नाचन्या मोहल्ला राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर।
1/3 लल्लूराम पुत्र मांगीलाल – फौत
1/3/1 हजारी लाल पुत्र लल्लूराम
1/3/2 जगदीश पुत्र लल्लूराम
1/3/3 छोटेलाल पुत्र लल्लूराम
1/3/4 लाली पत्नी लल्लूराम
1/3/5 गीता पुत्री लल्ल्लूराम पत्नि कैलाश जाति माली निवासी भगत का बास बस स्टेण्ड के पास राजगढ जिला अलवर।
2. जौहरी लाल पुत्र रामल्या – फौत
2/1 कैलाश चन्द पुत्र जौहरी लाल जाति माली निवासी बडाबास भाण्डेडा तह. बॉदीकुई जिला दौसा।
2/2 विमला देवी पुत्री जौहरी लाल पत्नी ओमप्रकाश जाति माली निवासी थाना का रामा राजगढ तह. राजगढ जिला अलवर।
3. भगवान सहाय पुत्र बिशन्या
4. रूकमा पत्नि बिशन्या
5. रंगलाल पुत्र गंगाधर
6. सोमोती लाल पुत्र गंगाधर

(3 से 6) } जाति माली निवासी बडाबास भाण्डेडा तह. बॉदीकुई जिला दौसा

7. उपपंजीयन अधिकारी उपपंजीयन कार्यालय बॉदीकुई, जिला दौसा।
8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बॉदीकुई।
9. प्रबन्धक एस.बी.आई. बैंक शाखा बॉदीकुई।

दावा बाबत- तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं.-143/2021 सन्-2021

निर्णय दिनांक: 23.10.2023

वादी द्वारा वाद पत्र दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि ग्राम बडाबास तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि खाता सं. नई पुरानी 100 खसरा नं. 246, 247, 254, 255, 256, 258, 263 लगा. 271, 275, 276, 278, 726/252 कुल किता 19 कुल रकबा 2.64 हैक्ट. स्थित है। जिसको आगे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम से संबोधित किया जावेगा। भूमि मुतदाविया का अभी तक विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है इस कारण पक्षकारान का भूमि मुतदाविया में अनडिवाईडेडशेयर अविभाजित भूमि पर यह निर्धारित नहीं

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner

किया गया है कि कौनसा हिस्सा कौनसी दिशा तथा कौनसा भू–भाग उक्त खसरा नम्बर में वादी के हिस्से में आया तथा कौनसा भू–भाग हिस्सा प्रतिवादी के हिस्से में आया चूँकि यह अभी निर्धारित नहीं हुआ है अभी उक्त भूमि का विधिवत सरस–नरस के अनुसार तकास्मा नहीं हुआ है ऐसे में सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की भूमि में वादी का हिस्सा व हक कब्जा काश्त कानूनन बनता है। भूमि मुतदाविया में वादी का 2/27 हिस्सा है। भूमि मुतदाविया को पक्षकारान ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बांट रखा है लेकिन भूमि को वोते समय व फसल काटते समय पक्षकारान में कमती ज्यादा को लेकर आपस में विवाद हो जाता है तथा कोई भी पक्ष राज्य सरकार व भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली कृषि सहायता भी बिना एक दूसरे की सहमति के प्राप्त नहीं कर सकता है इसलिये भूमि मुतदाविया का सरस नरस के अनुसार तकास्मा किया जाकर कब्जे के अनुसार सरस नरस के हिसाब से वादी के उसके 2/27 हिस्से का तकास्मा किया जाकर अलग चक व अलग खाता कायम किया जावे।

प्रतिवादी सं. 01 ने वादी के विरूद्ध एक नाजायज गिरोह बना रखा है तथा वे वादी को उसके हिस्से से बेदखल करने की नीयत से भूमि का बिना विधिवत तकास्मा करवाये ही अब भूमि में खाम व पुख्ता निर्माण करके दीगर लोगों को बेचान करने पर आमादा है तथा खसरा नं. 254 रकबा 0.05 है. गै. मु. चाह है जिसमें अर्से दराज बजमाने बुजुर्गान से कायम गूणी की भूमि पर जबरन बलपूर्वक लैट्रिंग बाथरूम का निर्माण कर रहा हे तथा लैट्रिंग के लिए गड्डा खुदवा रहा है जिससे बोरिंग का पानी भी दूषित होगा तथा बिना वादी की सहमति के व स्वीकृति भूमि मुतदाविया में गैर विधिक तरीके से पुख्ता निर्माण करने पर आमादा है तथा ऐलानियां धमकी दे रहा है कि मैं वादी को उनकी भूमि से बेदखल करके अपना नाजायज कब्जा करके पुख्ता निर्माण करके दीगर लोगों को बेचकर रहूँगा तथा जबरन चाह खसरा नं. 254 पर लाठी के बल पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करके रहूँगा तथा वादी को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त भी नहीं करने दूँगा।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि भूमि मुतदाविया का विधिवत सरस नरस के अनुसार तकास्मा किया जाकर कब्जे व मौके के अनुसार सरस नरस के हिसाब से वादी के 2/27 का अलग चक व अलग खाता कायम किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद किया जावे कि भूमि मुतदाविया खाता सं. नई 100 खसरा नं. 246, 247, 254, 255, 256, 258, 263 लगा. 271, 275, 276, 278, 726/252 कुल किता 19 कुल रकबा 2.64 हैक्ट. स्थित ग्राम बडाबास भाण्डेडा तहसील बसवा जिला दौसा का जब तक मौके व कब्जे के अनुसार विधिवत तकास्मा होकर अलग–अलग खाते कायम न हो जावे तब तक भूमि खसरा नं. 254 गै. मु. चाह एवं भूमि के किसी भी भू–भाग पर किसी भी प्रकार का खाम या पुख्ता निर्माण करने से, लैट्रिंग बाथरूम निर्माण करने से, गड्डा खोदने से, वादी के कब्जे काश्त इस्तेमाल उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से पाबंद रहे प्रतिवादी सं. 7 प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा पेश किये जाने वाले किसी भी रहन नामा बयनामा आदि को पंजीकृत करने से एवं राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार की तब्दीली करने से पाबंद रहे। भूमि मुतदाविया की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

वादी वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण सं. 3 लगायत 9 बावजूद जर्ये रजिस्टर्ड ए. डी. नोटिस तामील उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण सं. 3 लगा. 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। उभयपक्ष वकील ने वाद को मौका कब्जा व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सरस–नरस तकास्मा कर प्राथमिक डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया एवं सहमति प्रकट की। उभयपक्ष वकील की सहमति से वादी वाद तकास्मा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया गया एवं तहसीलदार बॉदीकुई को वादग्रस्त भूमि खाता सं. नई 100 खसरा नं. 246, 247, 254, 255, 256, 258, 263 लगा. 271, 275, 276, 278, 726/252 कुल किता 19 कुल रकबा 2.64 हैक्ट. स्थित ग्राम बडाबास भाण्डेडा तहसील बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज खातेदारान के मध्य मौका व कब्जा काश्त अनुसार, रास्ते आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सरस नरस विभाजन कर कुरैजात प्रस्ताव बरंग सुर्ख नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांकः 2177 दिनांकः 08.06.2023 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली में वादी की ओर से प्रार्थना पत्र कायम मुकाम प्रतिवादी सं. 1, 2, 2/2 के फौत होने पर उनके वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु पेश किया। प्रार्थना पत्र नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार योग्य होने से दिनांकः 27.07.2023 को 200/– कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर तलबी कायम मुकाम की गई। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात का उभयपक्ष वकील द्वारा अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जर्ये वकील प्रार्थना पत्र

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण के कायम मुकामान वारिसान के पत्रावली पर पक्षकारान बनाने से पूर्व बनाये हैं। उनको बनाते समय तहसीलदार बॉंदीकुई द्वारा प्रतिवादीगण को कोई नोटिस नहीं दिये गये तथा कुरैजात में प्रतिवादीगण के कब्जे शुदा भूमि को वादी को दे दिया गया है तथा तहसीलदार बॉंदीकुई ने मौके पर जाकर कुरैजात नहीं बनाये बल्कि पटवारी हल्का ने वादी के साथ मिलकर उसके पक्ष में कुरैजात तैयार किये हैं तथा कुरैजात में रास्ते की भूमि का बंटवारा भी सुविधा अनुसार नहीं किया गया है उक्त कुरैजात काश्तकारी नियम 18 से 21 की पालन नहीं किया है एवं जो कुछ खसरा नंबरों को शामिल रखा गया है उनका भी बंटवारा किया जाकर कुरैजात मंगवाया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरैजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार बॉंदीकुई को आदेश दिये जावे कि पक्षकारों को विधिक नोटिस प्रेषित कर पक्षकारों की मौजूदगी में कब्जे व रास्ते को ध्यान में रखते हुये सम्पूर्ण भूमि मुतदाविया के पक्षकारान की मौजूदगी में पुनः कुरैजात रिपोर्ट पेश करने के आदेश प्रदान करें।

वादी की ओर से जर्ये वकील जवाब प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरैजात पेश किया कि उक्त प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्य गलत है अस्वीकार है तहसीलदार बॉंदीकुई द्वारा सभी पक्षकारों को नोटिस देकर व उनकी उपस्थिति में पटवारी हल्का, गिरदावर व तहसीलदार की उपस्थिति में कुरैजात तैयार किये और सभी काश्तकारों के लिए रास्ते का ध्यान रखते हुये कुरैजात तैयार किये। उक्त प्रार्थना पत्र मात्र मुकदमे को देरी करने के उद्येश्य से पेश किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरैजात खारिज फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरैजात पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। उभयपक्ष वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। तहसीलदार बॉंदीकुई के पत्र कमांकः 2177 दिनांकः 08.06.2023 द्वारा प्रस्तुत कुरैजात प्रस्ताव दिनांकः 27.02.2023 का अवलोकन किया। प्राप्त कुरैजात तहसीलदार बॉंदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट है तथा न्यायालय हाजा द्वारा कायम मुकाम नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर उभयपक्षों को सुनने के पश्चात रिकार्ड पर लिये गये हैं। अतः बहस उभयपक्ष वकील पर मनन करने एवं प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव के अवलोकन के आधार पर प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरैजात पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार बॉंदीकुई से प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव दिनांकः 27.02.2023 स्वीकार किये जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है–

म ग्राम	खसरा नं.	रकबा	कम सं.	वर्तमान कुर्रेजात प्रस्ताव के अनुसार खातेदारी नाम काश्तकार व वल्दियत	खसरा नंबर	रकबा
डाबास	246	0.17	1.	1. रामसहाय, भगवानसहाय पि. बिशन्या, रूकमा पत्नि बिशन्या जाति माली सा. देह खातेदार	266/1	0.02
	247	0.46			266/3	0.04
	254	0.05			267/2	0.0450
	255	0.20			268	0.06
	256	0.08			270/2	0.15
	258	0.04			276/3	0.1050
	263	0.05			278/1	0.08
	264	0.08			726/252	0.02
	265	0.06				
	266	0.08				
	267	0.05				
	268	0.06				
	269	0.16		कुल	किता 08	0.52 हैक्ट.
	270	0.17				
	271	0.14				
	275	0.09				
	276	0.50				
	278	0.18				
	726/252	0.02				

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner

किता 19	2.64 है.	2.	गांगीलाल पुत्र रामला हि. पूर्ण जाति माली सा. देह खातेदार हि. 1/2 राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा बॉदीकुई	255/1 256 263 264 265 276/5	0.1950 0.08 0.05 0.08 0.06 0.0550
			कुल	किता 06	0.52 हैक्ट.
		3.	जौहरीलाल पुत्र रामला हि. पूर्ण जाति माली सा. देह खातेदार	269/2 271 276/2 278/2	0.14 0.14 0.14 0.10
			कुल	किता–04	0.52 हैक्ट.
		4.	सोमोतीलाल पुत्र गंगाधर हि. 1/3 राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा बॉदीकुई, रंगलाल पुत्र गंगाधर हि. 1/3, सोनी पत्नि गंगाधर हि. 1/3 जाति माली सा. देह खातेदार	246/1 247/1 258/1 276/4	0.1450 0.43 0.0350 0.17
			कुल	किता–04	0.78 हैक्ट.
		5.	शामिल नाम खातेदार व हिस्सा मुताबिक जमाबंदी	254 275 246/2 247/2 255/2 258/2 266/2 267/1 269/1 270/1 276/1	0.05 0.09 0.0250 0.03 0.005 0.005 0.02 0.005 0.02 0.02 0.03
			कुल	किता 11	0.30 हैक्टे.

उक्त कुरेजात में प्रतिवादी सं. 1 व 2 का फौत होना अंकित है। जिसके कायम मुकाम न्यायालय हाजा द्वारा 27.07.2023 को स्वीकार किये जा चुके है। उक्त कायम मुकाम का नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। कुरेजात, निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। अंतिम डिकी जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदनानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हिस्से के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करें। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.10.2023 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बॉदीकुई (दौसा)

(नीरज कुमार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बॉदीकुई

Scanned with CamScanner